

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी
मध्यप्रदेश
समाचार

प्रदेश में होने वाले उप चुनाव के लिये कार्यक्रम जारी
खंडवा लोकसभा, जोबट, रैगांव और पृथ्वीपुर विधानसभा में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील
भोपाल : 28 सितंबर, 2021

उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री प्रमोद शुक्ला ने बताया कि मध्यप्रदेश में होने वाले लोकसभा और विधानसभा उप चुनाव के लिये भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य की 28-खण्डवा लोकसभा क्षेत्र एवं 45-पृथ्वीपुर, जिला निवाड़ी, 62-रैगांव (अ.जा.), जिला सतना एवं 192-जोबट (अ.ज.जा.), जिला अलीराजपुर के विधान सभा क्षेत्र के रिक्त पद को भरने हेतु आज दिनांक 28 सितम्बर, 2021 को कार्यक्रम जारी किया गया है। कार्यक्रम अनुसार निर्वाचन की अधिसूचना दिनांक 1 अक्टूबर, 2021 को संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा जारी की जावेगी। इसी दिनांक से नाम-निर्देशन पत्र जमा किये जावेंगे। नाम-निर्देशन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 8 अक्टूबर, 2021 है। नाम-निर्देशन पत्रों की संवीक्षा 11.10.2021 को होगी। नाम निर्देशन पत्र 13.10.2021 तक वापस लिए जा सकेंगे। इन क्षेत्रों में मतदान दिनांक 30.10.2021 को होगा। मतों की गणना 02.11.2021 को संबंधित जिला मुख्यालय पर की जावेगी। निर्वाचन की घोषणा के साथ ही आदर्श आचरण संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। आदर्श आचरण संहिता सभी उम्मीदवारों, राजनैतिक दलों और सरकार पर लागू होगी।

2. COVID-19 के दौरान आम चुनाव के संचालन के दौरान व्यापक दिशा-निर्देश-

- आयोग ने नामांकन के पूर्व तथा बाद जुलूस एवं सार्वजनिक बैठक को प्रतिबन्धित किया है। नामांकन प्रस्तुत करने के लिए उम्मीदवार के साथ आने वाले व्यक्तियों की संख्या के मानदंडों को संशोधित किया है, जो 2 (दो) तक सीमित है।
- नामांकन के प्रयोजनों के लिए वाहनों की संख्या 3 (तीन) तक सीमित हैं, जो रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय के 100 मीटर की परिधीय में आते हैं।
- नामांकन पत्र करने के लिए कोई भी जुलूस कर अनुमति नहीं है।
- उम्मीदवार को ऑनलाइन पद्धति से भी नामांकन फॉर्म एवं Affidavit दाखिल करने की सुविधा उपलब्ध कराई है। ऑन लाईन भरे फार्म एवं शपथ-पत्र का प्रिंट निकालकर नोटराईजेशन उपरान्त संबंधित Returning officer के समक्ष जमा किया जा सकेगा।
- उम्मीदवार चुनाव लड़ने के लिए निर्धारित निक्षेप राशि (Deposit amount) संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को भौतिक रूप से चालान अथवा कॅश के रूप में जमा कर सकेंगे।

- कोविड-19 की रोकथाम के दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए, आयोग ने डोर टू डोर अभियान के लिए संख्या उम्मीदवार सहित कुल 5 (पांच) व्यक्तियों तक सीमित कर दिया है।
 - प्रचार-प्रसार हेतु रोड शो को प्रतिबन्धित किया गया है तथा किसी भी प्रकार के मोटर/बाईक, साईकल रैली आदि की अनुमति नहीं है।
 - सभाओं के लिए—
 - आन्तरिक सभाओं के लिए कुल क्षमता का 30% अथवा 200 व्यक्तियों (जो भी कम हो) की अनुमति दी गई है।
 - बाहरी सभाओं के लिए कुल क्षमता का 50% अथवा 1000 व्यक्ति (स्टार केम्पेनर की सभा हेतु) अथवा 500 व्यक्ति अन्य सभी मामलों में अनुमति दी गई है।
 - COVID-19 के लिए जिला स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। इनके परामर्श से, चुनावों के संचालन के लिए, व्यवस्था और निवारक उपायों से संबंधित दिशानिर्देशों का पालन करते हुए Election Management Plan बनाया गया है।
3. **अर्हता**— ऐसे व्यक्ति, जो अर्हता दिनांक 1 जनवरी, 2021 को अपनी 18 वर्ष आयु पूर्ण कर चुके हैं और जिनका नाम मतदाता सूची में दर्ज है, वह इस निर्वाचन में अपना मतदान कर सकेंगे।
 4. **मतदाता संख्या**— 28-खण्डवा संसदीय क्षेत्र में 10.07 लाख पुरुष, 9.61 लाख महिलाएं, 70 थर्ड जेण्डर एवं 683 सर्विस वोटर्स कुल 19.69 लाख मतदाता तथा 3 विधान सभा क्षेत्रों में 3.52 लाख पुरुष, 3.28 लाख महिलाएं, 1 थर्ड जेण्डर एवं 790 सर्विस वोटर्स कुल 6.80 लाख मतदाता मतदान कर सकेंगे। इस क्षेत्र में शत-प्रतिशत मतदाताओं के पास मतदाता पहचान पत्र उपलब्ध करा दिए गए हैं। इनमें 80 वर्ष से अधिक उम्र के 35,919 एवं 23,571 दिव्यांग मतदाता चिन्हित हैं।
 5. **मतदान केन्द्र**— 28-खण्डवा संसदीय क्षेत्र में वर्तमान में कुल 2367 मतदाता केन्द्र तथा तीन विधान सभा क्षेत्रों में 837 मतदाता केन्द्र हैं। 1000 से अधिक मतदाता वाले बूथ के लिए सहायक मतदान केन्द्र बनाया जावेगा। प्रत्येक मतदान केन्द्र पर अनिवार्य न्यूनतम सुविधाएं (AMF) उपलब्ध कराई गई हैं।

6. **मतदान दल-** मतदान को सम्पन्न कराने हेतु लगभग 20000 मतदान कर्मियों की आवश्यकता होगी। कोविड के दिशा-निर्देशों के तहत मतदान दलों के आवागमन हेतु पर्याप्त संख्या में वाहनों की व्यवस्था की गई है। मतदान दलों का तृतीय रेण्डमाईजेशन 24 घण्टों के स्थान पर कोविड-19 के निर्देशों के पालन हेतु **72 घण्टे पूर्व** में रखा गया है।
7. **EVM & VVPAT-** मतदान हेतु FLC OK मशीनों में 9650 बैलेट यूनिट, 9370 कन्ट्रोल यूनिट एवं 9428 VVPAT जिलों में उपलब्ध हैं। मतदाता अपने पसंदीदा अभ्यर्थी को डाले गये मत की पुष्टि मतदान प्रकोष्ठ में उपलब्ध VVPAT पर पर्ची देखकर कर सकेंगे।
8. **मतदाता पर्ची-** आयोग द्वारा इस विधान सभा क्षेत्र के मतदाताओं को मतदान दिवस से पांच दिवस पूर्व तक वोटर इन्फार्मेशन स्लिप (VIS) उपलब्ध कराई जावेगी। दृष्टिबाधित मतदाताओं को मतदान में सुविधा हेतु Braille Photo Voter Information Slips भी उपलब्ध कराई जावेगी।
9. पहचान हेतु वैकल्पिक दस्तावेज.- निर्वाचन में कोई मतदाता अपने मताधिकार से वंचित न रहे इस हेतु आयोग द्वारा मतदाताओं की पहचान स्थापित करने हेतु EPIC के अतिरिक्त 11 प्रकार के निम्न दस्तावेजों को भी मान्य किया है-
 - i. आधार कार्ड
 - ii. मनरेगा जॉब कार्ड
 - iii. बैंकों/डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक
 - iv. श्रम योजना मंत्रालय द्वारा स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत जारी स्मार्ट कार्ड
 - v. ड्राइविंग लाइसेन्स
 - vi. पैन कार्ड
 - vii. भारत के रजिस्टर जनरल (RGI) द्वारा राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड
 - viii. भारतीय पासपोर्ट
 - ix. फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज
 - x. केन्द्रीय/राज्य शासन/सार्वजनिक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किये गये फोटोयुक्त सेवा पहचान-पत्र
 - xi. सासंद/विधायक/विधान परिषद के सदस्य को जारी आधिकारिक पहचान पत्र
10. **नामांकन प्रक्रिया-**
 - नामांकन में ऑनलाइन मोड की सुविधा के लिए अतिरिक्त विकल्प प्रदान किए गये हैं:

- 1) CEO/DEO की वेबसाइट पर नामांकन फॉर्म भी ऑनलाइन उपलब्ध होगा। कोई भी इच्छुक उम्मीदवार इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकता है तथा इसको प्रिंट कर रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष जमा कर सकता है।
 - 2) शपथ पत्र भी CEO/DEO की वेबसाइट पर ऑनलाइन भरा जा सकता है और इसका प्रिंट लिया जा सकता है और नोटरीकरण के बाद इसे रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष नामांकन फॉर्म के साथ जमा किया जा सकता है।
 - 3) उम्मीदवार संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर के पास security amount जमा करने कर सकेगा। इसके अतिरिक्त वह चालान से भी security amount जमा कर सकता है।
 - 4) इसके अतिरिक्त पूर्व की प्रक्रिया अनुसार उम्मीदवार ऑफलाईन फार्म प्राप्त कर भी रिटर्निंग अधिकारी को निर्धारित समय के पूर्व प्रस्तुत कर सकता है।
11. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव संचालन की प्रमुख गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए कोविड-19 के दौरान होने वाले उप चुनाव के लिए निम्नानुसार व्यापक दिशा निर्देश जारी किए हैं—
- चुनाव संबंधी प्रत्येक गतिविधि के दौरान प्रत्येक व्यक्ति मास्क लगाएगा, जिन मतदाताओं के पास मास्क नहीं होगा उन्हें मतदान केन्द्र पर मास्क उपलब्ध कराया जाएगा।
 - प्रत्येक मतदान केन्द्र पर सेनिटाइजर, साबुन और पानी की उपलब्धता है।
 - मतदान केन्द्र पर निर्वाचकों की थर्मल जांच (तापमान) की जायेगी। मतदाता का प्रथम बार में तय मानको से अधिक तापमान आने पर, द्वितीय बार जांच की जायेगी और फिर भी तापमान अधिक रहता है तो ऐसे मतदाता को टोकन/प्रमाण पत्र दिया जाएगा और उसे कहा जाएगा कि वह मतदान के अंतिम घंटे में आये। अंत में कोविड-19 की प्रतिरोधक प्रक्रिया का पालन करते हुये ऐसे मतदाता से मतदान कराया जायेगा।
 - मतदान हेतु लाईन में 15-20 व्यक्तियों के लिए 6 फीट की दूरी पर निर्धारित गोले बनाये जायेंगे।
 - मतदान स्थल पर Medicated waste material के संग्रहन एवं डिस्पोजल के लिए आवश्यक समुचित व्यवस्थाएं भी की गई हैं।
12. **मॉक पोल –**
1. मतदान के दिन, वास्तविक मतदान शुरू होने से 90 मिनट पहले, उम्मीदवारों के पोलिंग एजेंटों की उपस्थिति में, प्रत्येक मतदान केन्द्र पर 50 वोट डालने के द्वारा एक मॉक पोल आयोजित

किया जाता है और नियंत्रण इकाई और व्हीवीपीएटी पर्चियों की गिनती के इलेक्ट्रॉनिक परिणाम का मिलान किया जाता है और उन्हें दिखाया जाता है। पीठासीन अधिकारियों द्वारा मॉक पोल के सफल आयोजन का प्रमाण पत्र बनाया जाएगा।

2. मॉक पोल के बाद पोलिंग एजेंटों की मौजूदगी में ईवीएम और वीवीपैट सील किए जाते हैं और सील पर पोलिंग एजेंटों के हस्ताक्षर प्राप्त किए जाते हैं।

13. वीडियोग्राफी/वेबकास्टिंग/सीसीटीवी कवरेज

सभी संवेदनशील घटनाओं की वीडियोग्राफी की जाएगी। नामांकन प्रक्रिया, और उनकी जांच, चुनाव चिन्हों का आवंटन, एफएलसी, ईवीएम को तैयार एवं भण्डारण करना, महत्वपूर्ण आम सभाएं, चुनाव अभियान के दौरान जूलूस-रैली इत्यादि, डाकमतपत्रों को जारी करने की प्रक्रिया, चिन्हित वलनरेबल मतदान केन्द्रों में मतदान प्रक्रिया, मतदान पश्चात् ईवीएम और व्हीवीपीएटी का भण्डारण, मतगणना आदि की वीडियोग्राफी की जाएगी। सीसीटीवी महत्वपूर्ण सीमा जांच पोस्ट पर निगरानी के लिए लगाए जाएंगे। आयोग ने यह भी कहा है कि वीडियोग्राफी/वेबकास्टिंग/सीसीटीवी और डिजिटल कैमरा का उपयोग संवेदनशील मतदान केन्द्रों और प्रकोष्ठों में मतदान की गोपनीयता बनाए रखते हुए मतदान की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा।

14. **चुनाव सामग्री वितरण एवं संग्रहण** – निर्वाचन हेतु निर्धारित समस्त चुनाव सामग्री के वितरण एवं उनके संग्रहण हेतु कोविड निर्देशों का पालन करते हुए आवश्यक व्यवस्थाएं की जाएंगी।

15. **मतगणना केन्द्र** – मतों की गणना हेतु स्ट्रांग रूम में कोविड-19 के दिशा-निर्देश हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं की जाएंगी। आयोग से प्राप्त निर्देशों के तहत मतों की गणना हेतु बड़े हॉल में 7 से अधिक मतगणना टेबिल नहीं रखी जाएंगी। आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हेतु मतगणना कक्षों की संख्या बढ़ाई जा सकती है।

16. विकलांग व्यक्तियों (PwD) और वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुविधा:

- सभी मतदान केंद्र Ground floor पर स्थित हैं जिनमें रैम्प की सुविधा है। केन्द्रों पर व्हीलचेयर उपलब्ध रहेगी।
- मतदान केंद्रों पर PwD के लिए विशेष सुविधा की जाएगी। मतदान केंद्रों में इनके प्रवेश के लिए प्राथमिकता दी जाती है, मतदान केंद्र परिसर के प्रवेश द्वार के पास निर्दिष्ट पार्किंग स्थलों के लिए प्रावधान किया जा रहा है।

17. COVID-19 के मद्देनजर पीडब्ल्यूडी मतदाताओं और वरिष्ठ नागरिकों (80 वर्ष से अधिक आयु) के लिए पहल:-

चुनाव (संशोधन) नियम, 2019 के संचालन और चुनाव संचालन (संशोधन) नियम, 2020 के अनुसार प्रदेश के रिक्त 28-खण्डवा लोक सभा क्षेत्र एवं तीन विधान सभा क्षेत्रों में निर्वाचन के लिए पोस्टल बैलेट से मतदान कराने की व्यवस्था है। निम्न श्रेणियों को भी पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान की सुविधा दी जा रही है:-

- (i) वरिष्ठ नागरिक (80 वर्ष से अधिक आयु)
- (ii) मतदाता सूची में चिन्हित दिव्यांग व्यक्ति
- (iii) COVID-19 के प्रभावित या संदिग्ध व्यक्ति

पोस्टल बैलेट द्वारा मतदान के इच्छुक मतदाता को सभी अपेक्षित विवरण देते हुए फार्म-12 डी में संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी को आवेदन करना होगा। पोस्टल बैलेट से मतदान कराने की यह प्रक्रिया मतदान दिवस के एक दिन पूर्व तक पूर्ण कर ली जावेगी।

18. **District, AC Level and Booth Level Election Management Plan-**

जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा एसपी और सेक्टर अधिकारियों के परामर्श से एक व्यापक जिला चुनाव प्रबंधन योजना तैयार किया गया है। इनके अनुसार vulnerability mapping exercise और critical मतदान केंद्रों की मैपिंग की गयी है एवं इसको सतत अद्यतन किया जा रहा है।

COVID-19 के सुरक्षा उपायों एवं मतदान दिवस पर मतदान केन्द्रों पर की गई व्यवस्था के बारे में मतदाताओं को तथा अभ्यर्थियों एवं राजनैतिक दलों को COVID-19 के निर्देशों के पालन के प्रति अधिक से अधिक जागरूक किया जावेगा।

.....